ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2017; 3(11): 123-124
www.allresearchjournal.com
Received: 21-09-2017
Accepted: 26-10-2017
Date of Publication: 06-11-2017

डॉ. मंजू चौधरी
सह–आचार्य, आयुक्तालय, कॉलेज षिक्षा, षिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर, भारत

Corresponding Author:
डॉ. मंजू चौधरी
सह–आचार्य, आयुक्तालय, कॉलेज षिक्षा, षिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर, भारत

भारत में विपक्ष

डॉ. मंजू चौधरी

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2017.v3.i11b.10459

सारांश
लोकतन्त्र के सफल संचालन में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सत्तापक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की। सरकार की नीतियां, कार्यक्रम एवं कानून के निर्माता के रूप में सत्ता पक्ष द्वारा किए गए कार्यों पर विपक्ष अवष्य ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। विपक्ष सदैव जागरूक रहते हुए सत्ता पक्ष को निरंतर क्रियाषील बनाए रखते हैं। विपक्ष की उपस्थिति से सत्ता पक्ष जनता के प्रति सजगता से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है किन्तु आज देष में विपक्ष खंडित एवं अव्यवस्थित है। आवष्यक है कि सत्ता पक्ष की नीतियों कार्यों पर नियंत्रण रखने, लोकतंत्र की सुरक्षा एवं जनहित में सरकार को सक्रिय रखने के लिए संगठित एवं सषक्त विपक्ष होना आवष्यक है।

कूटशब्द : संसदीय लोकतन्त्र, विपक्ष, सत्तापक्ष, सषक्त

प्रस्तावना

विपक्ष के कार्य

संसदीय लोकतन्त्र में सत्ता पक्ष ही नहीं अपितु विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विपक्ष संसदीय लोकतन्त्र का प्राण है। विपक्ष के अभाव में सरकार का उत्तरदायित्व नाममात्र का हो जाता है जिसके कारण सत्ता पक्ष अधिनायकवादी नीतियों को अपना सकता है। संसद के अंदर विपक्ष के सदस्य जनहित में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं एवं जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के कार्य से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं–

1. सत्ता पक्ष की कार्य शैली पर निगरानी रखना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना व सत्ता पक्ष के द्वारा की गयी त्रुटियों को जनता और संसद के सामने उजागर करना।
2. जनमत के प्रमुख मुददों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष को जनहित में कानून बनाने के लिए बाध्य करना।
3. जनता को राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में अपने दल के द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक सकारात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में षिक्षित करना तथा सत्ता पक्ष के विरूद्ध जनमत तैयार करना।
4. संसद की गरिमा एवं संसदीय परम्पराओं संस्कृति व नियमों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष की नीतियों कार्यक्रमों व कानून के निर्माता के रूप में किये गये कार्यों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना।
5. सत्ता पक्ष द्वारा सत्ता के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं तानाषाही की ओर बढ़ रहे कदम को बिना किसी भय के पीछे करने के लिए अंकुष लगाना।
6. सरकार के अपदस्थ होने की स्थिति में विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाने के रूप में आगे आ सकता है।
7. प्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना की रिपोर्ट करते हैं।
8. सत्ता पक्ष की जनविरोधी नीतियों, योजनाओं व उनके कार्यकलापों से जनता को सचेत करते हैं।
9. सत्ता पक्ष का विरोध कर संसद में अथवा आम चुनावों में परास्त करने और उसके स्थान पर अपनी सरकार बनाने के लिए सरकार पर आरोप लगाने पड़ते हैं, त्याग पत्र मांगे जाते हैं एवं अविष्वास प्रस्ताव लाये जाते हैं।

भारत में विपक्ष

भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देष में स्वस्थ उत्तरदायी एवं सषक्त विपक्ष का निर्माण नहीं हो सका है। विपक्ष खण्डित एवं अव्यवस्थित है। राज्य के विधान मण्डल एवं संसद में संसदीय परंपराओं, संस्कृति एवं नियमों की विपक्ष उपेक्षा करते हैं, दलीय राजनीति लाभ के लिए सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं एवं इस अवसर की तलाष करते हैं कि कब सत्ता पक्ष से कोई गलती हो उसका विरोध करें एवं जनता के समक्ष उसका प्रचार प्रसार करें।

विधायी प्रक्रिया के अन्तर्गत विपक्ष जनसमस्याओं व राष्ट्रीय मुददों पर सार्थक आलोचना कर सरकार को सही रास्ता दिखाने के स्थान पर अधिकांष वही मुददे उठाता है जिसमें उसको राजनीतिक श्रेय मिल सके। शासकीय नीतियों एवं उनके कियान्वयन का विरोध अथवा आलोचना करते समय कोई ठोस सुझाव या विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि विपक्षीय दल अनुउत्तरदायी, दुर्बल, अवसरवादी एवं असंवैधानिक तरीकों में विष्वास करते हुए उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। विपक्ष सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ है। विपक्ष केवल दो स्तर पर संयुक्त होते हैं– चुनावी गठबंधन तक अथवा सरकार के प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करना। इस प्रकार वे नकारात्मक उददेष्य को लेकर संयुक्त रहते हैं। यह भारतीय संसदीय शासन का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के पास उचित सकारात्मक भूमिका का अभाव है।

भारत में विपक्ष के दायित्व एवं सुझाव

1. सत्ता पक्ष की नीतियों व कार्यों पर नियंत्रण रखने, लोकतंत्र की सुरक्षा व देषहित में सरकार को सक्रिय एवं गतिषील रखने के लिए संगठित एवं सषक्त विपक्ष होना आवष्यक है।
2. संगठित व सषक्त विपक्ष के भय से सत्ता पक्ष अपने कार्यो को मर्यादा में रहते हुए जनहित में संपादित करता है।
3. सत्ता पक्ष की समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों की विपक्ष द्वारा सार्थक आलोचना करनी चाहिए एवं जनहित में होने वाले निर्णयों का समर्थन करना चाहिए।
4. सत्ता पक्ष साझा मुददों पर समन्वय स्थापित कर संसदीय प्रक्रियाओं पर रणनीति तैयार करे।
5. संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए विपक्ष सदैव जागरूक एवं सार्थक भूमिका निभाते हुए सत्ता पक्ष को जनहित में कियाषील बनाये।
6. जनहित एवं राष्ट्रहित के मुददों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भय के विपक्ष को सरकार की कार्यवाही एवं नीतियों की निर्भीक आलोचना करनी चाहिए।
7. विपक्ष को अपनी भूमिका निभाते समय संसद की गरिमा एवं संसदीय परंपराओं व नियमों का अवष्य ही ध्यान रखना चाहिए। सदन में शोरगुल, नारेबाजी, वाकआउट, हिंसा पर उतर जाना, कागजों को फाड़ना एवं उनके गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकना अनुषासनहीनता एवं सदन को नही चलने देना जैसी विषम परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए।
8. विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं का मान रखे एवं लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाये।
9. जनहित के मुददो पर सत्ता पक्ष की आलोचना करने से पूर्व मुददों को लेकर एक भली प्रकार परिभाषित और परिसीमित कार्यक्रम और नीति बनाये।
10. सदनों में कार्य निष्पादन के लिए अनेक समितियों का निर्माण किया जाता है उसमें सत्तारूढ दल तथा विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। इसमे सत्ता पक्ष अपना एकाधिकार रखना चाहता है। अतः प्रतिपक्ष के प्रतिनिधियों को चाहिए कि तथ्य और सत्य को सार्वजनिक करे तथा सत्ता पक्ष के दबाव में न आये और न ही अनावष्यक गतिरोध पैदा करे।
11. विपक्ष के सदस्यों को चाहिए कि वे सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का प्रषिक्षण प्राप्त करें जिससे प्रभावषाली ढंग से अपना पक्ष रख सकें।
12. संसद के अंदर विपक्ष के सदस्यों को लोकहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के अनेक अवसर और प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध होते हैं। उनका दायित्व है कि वे उन सबका पूरा–पूरा उपयोग करें। सदन के सामने आने वाले विधेयकों का गूढ़ ध्ययन–विष्लेषण कर और विधायन की प्रक्रिया में भाग लेकर, निंदा, स्थगन, अविष्वास तथा अन्य प्रस्तावों, प्रष्नों तथा संकल्पों के द्वारा, सरकार की त्रुटियों और जनता की समस्याओं को उजागर किया जा सकता है।

निष्कर्ष

विपक्ष को संसद की गरिमा बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। एक तरफ देष की राजनीति में स्थिरता है तो दूसरी तरफ सामाजिक उथल–पुथल व सामाजिक असंतोष है। इतनी विरोधाभास की स्थिति होने के बावजूद विपक्ष कुछ भी करने में असमर्थ है। विपक्ष का कमजोर होना संसदीय लोकतंत्र के औचित्य पर सवाल या निषान लगाता है। आवष्यकता है कि विपक्ष झुझारू, प्रभावी, संगठित व सषक्त होकर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाए एवं सत्ता पक्ष की रचनात्मक आलोचना करते हुए संवैधानिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें।

संदर्भ

1. भारतीय राजनीति और संसद– सुभाष काष्यप
2. भारतीय संसद समस्याएं, समाधान– सुभाष काष्यप
3. स्ंसदीय व्यवस्था में परिवर्तन की दिषा– उम्मेद सिंह इंदा